



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22082022-238238
CG-MH-E-22082022-238238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]
No. 406]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22 अगस्त, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/94.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-
 - विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (त) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(तक) पोर्टफोलियो प्रबंधक के संबंध में, “संबद्ध पक्षकार” (रिलेटेड पार्टी) का अर्थ है -

 - कोई निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या उसका नातेदार;

- (ii) प्रबंध मंडल का कोई मुख्य व्यक्ति (की मैनेजरियल पर्सोनल) या उसका नातेदार;
- (iii) कोई फर्म, जिसमें निदेशक, भागीदार, प्रबंधक (मैनेजर) या उसका नातेदार भागीदार हो;
- (iv) कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें निदेशक, भागीदार या प्रबंधक या उसका नातेदार सदस्य (मेम्बर) या निदेशक हो;
- (v) कोई पब्लिक कंपनी, जिसमें निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक हो अथवा उसकी समादत्त शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) में उसका और उसके नातेदारों का हिस्सा दो प्रतिशत से अधिक हो;
- (vi) कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) या प्रबंधक निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, उसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है;
- (vii) कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार निदेशक, भागीदार या प्रबंधक कार्य करता है:

परंतु यह कि उप-खंड (vi) और (vii) में दी हुई कोई भी बात पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से दी गई सलाह, दिए गए निदेशों या अनुदेशों के मामले में लागू नहीं होगी;

- (viii) कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) जो –
 - (क) पोर्टफोलियो प्रबंधक की नियंत्री (होल्डिंग / धारिता), समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी हो; या
 - (ख) नियंत्री कंपनी की समनुषंगी हो जिसका पोर्टफोलियो प्रबंधक भी एक समनुषंगी हो;
 - (ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक में निवेश करने वाली कंपनी (इन्वेस्टिंग कंपनी) या उसकी वेंचरर हो;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनार्थ "पोर्टफोलियो प्रबंधक में निवेश करने वाली कंपनी (इन्वेस्टिंग कंपनी) या उसकी वेंचरर" का अर्थ है - वह निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) जिसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक में निवेश किए जाने से पोर्टफोलियो प्रबंधक निगमित निकाय का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) बन जाएगा।

- (ix) लागू लेखा मानकों के तहत यथा परिभाषित कोई संबद्ध पक्षकार (रिलेटेड पार्टी);
- (x) बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति:

परंतु यह कि,

- (क) ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी एंटिटी को संबद्ध पक्षकार (रिलेटेड पार्टी) माना जाएगा, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा हो; या
- (ख) ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी एंटिटी को संबद्ध पक्षकार माना जाएगा, जिसके पास, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी समय, या तो प्रत्यक्ष रूप से या लाभार्थी हित (बेनिफिशियल इंटरैस्ट) के आधार पर (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 में उल्लेख किया गया है), सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी में:

- (i) बीस प्रतिशत या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर हों; या

(ii) दस प्रतिशत या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर हों (यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा);”

II. विनियम 22 में,

i. उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(1क) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टी) या अपने सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश ग्राहक की पूर्व सहमति लेने के बाद (उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) ही कर सकेगा:

परंतु यह कि उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए सहमति लेना जरूरी नहीं होगा, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

ii. उप-विनियम (4) में, खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(घक) पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा उसके संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टी) या सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ग्राहक के पैसों (फंड) के लिए गए निवेश के ब्यौरों का; (घख) पोर्टफोलियो प्रबंधक की अलग-अलग जगह निवेश करने की नीति (डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी) के ब्यौरों का:

परंतु यह कि ऊपर खंड (घक) तथा (घख) में दी हुई अपेक्षाएँ उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर लागू नहीं होंगी, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह और कि बोर्ड ऊपर खंड (घक) तथा (घख) में दी हुई अपेक्षाओं के अलावा भी प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षाएँ निर्धारित कर सकेगा;”

III. विनियम 24 के उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(3क) पोर्टफोलियो प्रबंधक निवेश की सीमाओं का पालन सुनिश्चित करेगा, जो भी बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएं।

(3ख) जिन सीमाओं का जिक्र उप-विनियम (3क) में किया गया है, वे पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा निवेश किए जाने के समय ग्राहक के स्तर पर लागू होंगी।

(3ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक को अपने संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टी) या सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) की उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ग्राहकों का पैसा (फंड) निवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जिनकी रेटिंग न हुई हो।

स्पष्टीकरण – उप-विनियम (3ग) के प्रयोजनार्थ, शब्द “सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट)” का अर्थ होगा -

(i) वह निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट) जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक के निदेशक या भागीदार (पार्टनर) के पास, या तो अलग-अलग या मिलाकर, यथास्थिति, उसकी समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी (पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल) या भागीदारी हित (पार्टनरशिप इंटरैस्ट) के बीस प्रतिशत से अधिक हो; या

(ii) वह निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट) जिसके पास, या तो अलग-अलग या मिलाकर, पोर्टफोलियो प्रबंधक की, यथास्थिति, समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी (पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल) या भागीदारी हित (पार्टनरशिप इंटरैस्ट) के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

(3घ) पोर्टफोलियो प्रबंधक निवेश की सीमाओं के पालन पर नज़र रखने के लिए एक अलर्ट सिस्टम की व्यवस्था करेगा।

(3ङ) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहकों के पैसों (फंड) का निवेश प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की क्रेडिट रेटिंग (जो भी बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए) के आधार पर किया जाए:

परंतु यह कि उप-विनियम (3क), (3ख), (3ग) तथा (3ङ) के तहत दी हुई अपेक्षाएँ उन निवेशों के मामले में लागू नहीं होंगी, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2022 के लागू होने से पहले किए गए हों:

परंतु यह और कि उप-विनियम (3क), (3ख), (3ग), (3घ) तथा (3ङ) के तहत दी हुई अपेक्षाएँ उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर लागू नहीं होंगी, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

IV.

अनुसूची-V में, खंड (14) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“15) पोर्टफोलियो प्रबंधक के संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टी) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश के ब्यौरे

पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा उसके संबद्ध पक्षकारों (रिलेटेड पार्टी) या सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ग्राहक के पैसों (फंड) के किए गए निवेश के ब्यौरे।

16) पोर्टफोलियो प्रबंधक की अलग-अलग जगह निवेश करने की नीति (डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी) के ब्यौरे

ग्राहकों के पोर्टफोलियो के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधक की अलग-अलग जगह निवेश करने की नीति (डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी) के ब्यौरे।”

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./224/2022-23]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/03 द्वारा, 16 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तत्पश्चात्,-
 - क. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - ख. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/10, द्वारा
 - ग. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/16, द्वारा
 - घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/31, द्वारा
 - च. 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/58, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd August, 2022

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2022**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/94.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (b) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, —

I. after clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clause shall be inserted, namely,-

“(pa) *“related party” in relation to a portfolio manager, means—*

- (i) *a director, partner or his relative;*
- (ii) *a key managerial personnel or his relative;*
- (iii) *a firm, in which a director, partner, manager or his relative is a partner;*
- (iv) *a private company in which a director, partner or manager or his relative is a member or director;*
- (v) *a public company in which a director, partner or manager is a director or holds along with his relatives, more than two per cent. of its paid-up share capital;*
- (vi) *any body corporate whose board of directors, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director, partner or manager;*
- (vii) *any person on whose advice, directions or instructions a director, partner or manager is accustomed to act:*

Provided that nothing in sub-clauses (vi) and (vii) shall apply to the advice, directions or instructions given in a professional capacity;

(viii) *any body corporate which is—*

*(A) a holding, subsidiary or an associate company of the portfolio manager;
or*

(B) a subsidiary of a holding company to which the portfolio manager is also a subsidiary;

(C) an investing company or the venturer of the portfolio manager;

Explanation.—For the purpose of this clause, “investing company or the venturer of a portfolio manager” means a body corporate whose investment in the portfolio manager would result in the portfolio manager becoming an associate of the body corporate.

- (ix) *a related party as defined under the applicable accounting standards;*
- (x) *such other person as may be specified by the Board:*

Provided that,

(a) any person or entity forming a part of the promoter or promoter group of the listed entity; or

(b) any person or any entity, holding equity shares:

(i) of twenty per cent or more; or

(ii) of ten per cent or more, with effect from April 1, 2023;

in the listed entity either directly or on a beneficial interest basis as provided under section 89 of the Companies Act, 2013, at any time, during the immediate preceding financial year;

shall be deemed to be a related party;”

II. in regulation 22,

i. after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(1A) The portfolio manager may make investments in the securities of its related parties or its associates only after obtaining the prior consent of the client in such manner as may be specified by the Board from time to time:

Provided that the requirement for obtaining consent shall not apply to such portfolio managers as may be specified by the Board.”

ii. in sub-regulation (4), after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely,-

“(da) the details of investment of client’s funds by the portfolio manager in the securities of its related parties or associates;

(db) the details of diversification policy of the portfolio manager:

Provided that the requirements specified above at clauses (da) and (db) above shall not apply to such portfolio managers as may be specified by the Board:

Provided further that the Board may specify disclosure requirements other than the requirements specified at clauses (da) and (db) above;”

III. after sub-regulation (3) of regulation 24, the following sub-regulations shall be inserted, namely,—

“(3A) The portfolio manager shall ensure compliance with the prudential limits on investments as may be specified by the Board.

(3B) The prudential limits, as specified under sub-regulation (3A), shall be applicable at the client level at the time of making investments by the portfolio managers.

(3C) The portfolio manager shall not be allowed to invest clients’ funds in unrated securities of their related parties or their associates.

Explanation. — For the purposes of sub-regulation (3C), the term "associate" shall mean—

(i) a body corporate in which a director or partner of the portfolio manager holds, either individually or collectively, more than twenty percent of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be; or

(ii) a body corporate which holds, either individually or collectively, more than twenty percent of the paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be of the portfolio manager.

(3D) The portfolio manager shall put in place an alert based system to monitor compliance with the prudential limits on investments.

(3E) The portfolio manager shall ensure investment of its clients’ funds on the basis of the credit rating of securities as may be specified by the Board:

Provided that the requirements under sub-regulations (3A), (3B), (3C) and (3E) shall not apply to investments made prior to the coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2022:

Provided further that the requirements under sub-regulations (3A), (3B), (3C), (3D) and (3E) shall not apply to such portfolio managers as may be specified by the Board.”

IV. in Schedule V, after clause (14), the following clause shall be inserted, namely,-

“15) Details of investments in the securities of related parties of the portfolio manager

The details of investment of client’s funds by the portfolio manager in the securities of its related parties or associates.

16) Details of the diversification policy of the portfolio manager

The details of the diversification policy of the portfolio manager for the portfolio of the clients.”

MADHABI PURI BUCH , Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./224/2022-23]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, were published in the Gazette of India on January 16, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/03.
2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 were subsequently amended on, –
 - a. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - b. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/10.
 - c. 26th April, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/16.
 - d. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - e. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/31
 - f. 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/58.